

प्रेषक,

संदीप कुमार
अपर सिविल जज (प्रवर खण्ड)-द्वितीय,
गाजियाबाद।

सेवा में,

माननीय महानिबंधक,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

द्वारा,

माननीय जनपद न्यायाधीश,
गाजियाबाद।

विषय-

वित्तीय वर्ष 2020-2021 के लिये श्रीमान जनपद न्यायाधीश, सुलतानपुर महोदय द्वारा दिनांक 17-08-2021 को प्रार्थी के विरुद्ध की गई प्रतिकूल टिप्पणी जो तत्कालीन प्रशासनिक न्यायमूर्ति, सुलतानपुर महोदय द्वारा प्रार्थी के प्रत्यावेदन पर सम्यक रूप से विचार किए बगैर दिनांक 03-11-2021 को पुष्ट कर दी गई के संबंध में-

परम अदारणीय महोदय,

तत्कालीन जनपद न्यायाधीश, सुलतानपुर महोदय द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-2021 के लिये प्रार्थी के विरुद्ध कई प्रतिकूल टिप्पणीयां करते हुए प्रार्थी की सत्यनिष्ठा को गंभीर संशय जनक कहा गया। इस प्रतिकूल टिप्पणी की प्रार्थी को पोर्टल से सूचना मिली, प्रत्यावेदन करने का समय कम था लिहाजा प्रार्थी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय से अभिलेख देखकर स्पष्टीकरण देने के लिये अतिरिक्त समय की मांग की गई, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उदारतापूर्वक 15 दिन का अतिरिक्त समय दिया गया।

प्रार्थी ने उक्त मर्यादाकाल में ही श्रीमान महानिबंधक उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के जरिये श्रीमान् जनपद न्यायाधीश द्वारा दी गई प्रतिकूल टिप्पणी पर अपना प्रत्यावेदन जनपद न्यायाधीश गाजियाबाद के द्वारा रिप्रेजेंटेशन केस आई. डी. नं० 245 दिनांकित 29-09-2021 प्रशासनिक न्यायमूर्ति, सुलतानपुर महोदय के अवलोकनार्थ भेजा।

प्रार्थी का प्रतिवेदन तत्कालीन माननीय प्रशासनिक न्यायमूर्ति, सुलतानपुर महोदय के समक्ष पहुंच तो गया लेकिन दुर्भाग्यवश उस पर न्यायसंगत सम्यक विचार नहीं हो सका और निम्नलिखित आक्षेप के साथ श्रीमान जनपद न्यायाधीश, सुलतानपुर द्वारा की गई प्रतिकूल प्रविष्टि को अधोलिखित ढंग से पुष्ट कर दिया गया,

"The District Judge has given enough reasons to rate the officer poor. I agree.

Overall assessment - poor

Integrity-not Certified."

Signature

प्रार्थी के प्रतिकूल टिप्पणी के विरुद्ध प्रेषित प्रत्यावेदन पर सम्यक रूपेण विचार न हो सकने के कारण प्रार्थी को सेवा में ऐसी क्षति होने जा रही है जिसकी भरपाई सम्पूर्ण सेवाकाल में नहीं हो पायेगी और प्रार्थी न्याय से वंचित रह जायेगा। प्रार्थी को जितनी बड़ी सजा मिली है प्रार्थी की ऐसी कोई गलती नहीं है। प्रार्थी को पूर्ण विश्वास है कि यदि माननीय तत्कालीन प्रशासनिक न्यायमूर्ति सुलतानपुर महोदय प्रार्थी के प्रत्यावेदन का परिशीलन कर लिये होते तो निश्चित रूप से उपरोक्तानुसार प्रतिकूल प्रविष्टि पुष्ट न की जाती।


मामले के उपरोक्त तथ्यों व परिस्थितियों में प्रार्थी सम्पूर्ण विनम्रता के साथ निवेदन करता है कि तत्कालीन जनपद न्यायाधीश, सुलतानपुर महोदय द्वारा वर्ष 2020-2021 वित्तीय वर्ष के लिये प्रार्थी की चरित्र पंजिका में की गई उपरोक्त प्रतिकूल प्रविष्टि, उसके कारण तथा उस पर प्रार्थी के द्वारा प्रेषित निवेदन/स्पष्टीकरण और स्पष्टीकरण के तथ्यों पर कार्य व्यस्तता के कारण तत्कालीन आदरणीय प्रशासनिक न्यायमूर्ति सुलतानपुर महोदय द्वारा विचार न कर सकने और प्रतिकूल प्रविष्टि को दिनांक 03-11-2021 को पुष्ट कर देने से प्रार्थी को हुई अपूर्णनीय क्षति को रोकने के लिये प्रार्थी के इस प्रत्यावेदन को "माननीय उच्च न्यायालय /न्यायिक अधिकारियों के रिट्रेसल विषयक समिति" के समक्ष न्यायहित में प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

प्रार्थना

सम्पूर्ण विनम्रता के साथ श्रीमान जी से प्रार्थी का निवेदन है कि प्रार्थी का यह प्रत्यावेदन माननीय उच्च न्यायालय/समिति के समक्ष कृपापूर्ण विचार के लिये प्रस्तुत कराने संबंधी आदेश करने की कृपा करें।

दिनांक 22-12-2021

भवदीय



(संदीप कुमार) 23.12.21

अपर सिविल जज (प्रवर खण्ड)-द्वितीय,


गाजियाबाद।

जे०ओ० कोड-यू०पी० 2119

संलग्न- (1) श्रीमान जनपद न्यायाधीश, सुलतानपुर द्वारा की गई प्रतिकूल प्रविष्टि मय संलग्नक (कुल 250 पृष्ठ)- पृष्ठ सं० 4 से 253 तक

(2) प्रार्थी का स्पष्टीकरण के लिये माननीय उच्च न्यायालय से समय की प्रार्थना व माननीय उच्च न्यायालय का 15 दिन का समय प्रदान किये जाने के आदेश की प्रति (कुल 03 पृष्ठ)- पृष्ठ सं० 254 से 256 तक

(3) स्पष्टीकरण से पूर्व अभिलेख देखने/शिकायत से संबंधित दस्तावेज की प्रतियां लेने विषयक प्रार्थना पत्र व उस पर तत्कालीन जनपद न्यायाधीश महोदय के आदेश की प्रति (कुल 03 पृष्ठ)- पृष्ठ सं० 257 से 259 तक



(4) श्रीमान जनपद न्यायाधीश, सुल्तानपुर महोदय द्वारा प्रार्थी की चरित्र पंजिका मे वित्तीय वर्ष 2020-2021 में की गई प्रतिकूल प्रविष्टि के विरुद्ध प्रार्थी द्वारा प्रेषित प्रत्यावेदन की प्रति मय संलग्नक (कुल 76 पृष्ठ)- पृष्ठ सं० [260 से x335 तक

(5) प्रार्थी की चरित्र पंजिका पर दिनांकित 03-11-2021 के प्रशासनिक न्यायमूर्ति सुल्तानपुर महोदय की पुष्टीकरण टिप्पणी और प्रार्थी का दिनांक 29-09 2021 का प्रत्यावेदन जिसके द्वारा प्रार्थी ने प्रत्यावेदन पर सम्यक रूप से विचार करने का आवेदन किया था की प्रति (कुल 03 पृष्ठ) पृष्ठ सं० 336 से 338 तक

पत्रांक.....दिनांक.....

अग्रसारित

माननीय महानिबन्धक,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद

जिला जज
गाजियाबाद।